# Haryana Government Bazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

### CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 24, 2010 (BHADRA 2, 1932 SAKA)

हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त, 2010

संख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/जी0जी0एन0—एम0बी0के0—एम0बी0पी0— आर0जे0के0— के0आर0एन0के0— जी0एम0जे0—आर0एस0एन0/ए०सी0ए0—सी0ए0/2010/3240.— चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है:

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रुप में घोषित करते हैं, अर्थात् :–

अनुसूची (पॉकेट-ए)

गावं मुबारिकपुर, जिला गुड़गावं के इर्द–गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 1908/2009, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 1 का उत्तर—पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर जिला झज्जर की दक्षिणी जिला सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 7 का उत्तर—पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या सी0 सी0 पी0 (एन0 सी0 आर0) ई0 डब्लयू०/जी0 जी0 एन0/23/सी0 ए०/बी0/2005/1658, दिनांक 27 अक्तूबर 2005 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव मुबारिकपुर की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 7 का दक्षिण—पूर्व कोना है।

दक्षिणः तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या सी सी पी (एन सी आर) ई डब्लयू/जी जी एन/23/सी ए/बी/2005/1658, दिनांक 27 अक्तूबर, 2005 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं मुबारिकपुर के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव मुबारिकपुर (हदबस्त संख्या 37) की आयत संख्या 9 का दक्षिण—पश्चिम कोना है।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर जिला झज्जर की पश्चिमी जिला सीमा के साथ–साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

अनुसूची (पॉकेट-बी)

गवं अभयपुर, जिला गुड़गावं के इर्द—गिर्द नियंत्रित क्षेत्र की समी की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(जी) 1909/2009, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव अभयपुर (हदबस्त संख्या 173) की आयत संख्या 76 का उत्तर—पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर हिरयाणा राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1990 में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—90 / 4177, दिनांक 28 मार्च, 1990 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, गावं गढ़ी बाजिदपुर तथा हिरयाणा राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1990 में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—90 / 1183, दिनांक 28 मार्च, 1990 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं दमदमा की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव अभयपुर (हदबस्त संख्या 173) की आयत संख्या 75 का उत्तर—पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर हरियाणा राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1990 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—90/1183, दिनांक 28 मार्च, 1990 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं दमदमा तथा हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—91/7472, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, खोबरी का मंदिर, गावं खोबरी की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव अभयपुर (हदबस्त संख्या 173) की आयत संख्या 86 का दक्षिण—पूर्व कोना है।

दक्षिणः तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—91 / 7472, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, खोबरी का मंदिर, गावं खोबरी की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव अभयपुर (हदबस्त संख्या 173) की आयत संख्या 85 का दक्षिण—पश्चिम कोना है।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर हिरियाणा राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी, 1977 में प्रकाशित हिरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 5932—2टी०सी०पी०—76 / 10302, दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, सोहना शहर—1 की उत्तर—पूर्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

अनुसूची (पॉकेट-सी)

गावं रोजका गुज्जर, जिला गुड़गावं के इर्द—गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 1910/2009, दिनांक 28 दिसम्बर, 2009 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तरः बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गावं रोजका गुज्जर (हदबस्त संख्या 172) के खसरा संख्या 96 का उत्तर—पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर हिरयाणा राजपत्र में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—97 / 13571, दिनांक 28 अगस्त, 1997 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, बड़े जोहड़ का मिन्दिर, गावं रोजका गुज्जर की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गावं रोजका गुज्जर (हदबस्त संख्या 172) के खसरा संख्या 96 का उत्तर—पूर्व कोना है तथा जिला फरिदाबाद की पूर्वी जिला सीमा से भी मिलता है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर जिला फरीदाबाद की उत्तर—पूर्व जिला सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक, तत्पश्चात् हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—97 / 13578, दिनांक 28 अगस्त, 1997 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं तितर की सीमाओं के साथ—साथ तथा हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—97 / 13579, दिनांक 28 अगस्त, 1997 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं मंड़ावर, की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गावं अभयपुर (हदबस्त संख्या 173) की आयत संख्या 29 का दक्षिण—पूर्व कोना है।

दक्षिणः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए पश्चिम तथा दक्षिण की ओर हिरयाणा राजपत्र में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—97 / 13579, दिनांक 28 अगस्त, 1997 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकी प्राथमिक विद्यालय, गावं मंड़ावार की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'ई' तक। तत्पश्चात् हिरयाणा राजपत्र में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—97 / 7472, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, खोबरी का मंदिर, गावं खोबरी की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'एफ' तक जो कि गावं अभयपुर (हदबस्त संख्या 173) की आयत संख्या 31 का दक्षिण—पश्चिम कोना है।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'एफ' से होते हुए उत्तर की ओर हिरयाणा राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1990 में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—90/1183, दिनांक 28 मार्च, 1990 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं दमदमा की सीमाओं के साथ—साथ, हिरयाणा राजपत्र में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—97/13571, दिनांक 28 अगस्त, 1997 को पहले से घोषित अतिरिक्त—नियंत्रित क्षेत्र—2, बड़े जोहड़ का मंदिर, गावं रोजका गुज्जर की सीमाओं के साथ—साथ तथा हिरयाणा राजपत्र में प्रकाशित हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—91/7468, दिनांक 30 अप्रैल, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र—1, बड़े जोहड़ का मंदिर, गावं रोजका गुज्जर की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

अनुसूची (पॉकेट-डी)

गावं किरांकी, जिला गुड़गावं के इर्द—गिर्द नियंत्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo(जी) 1917/2010, दिनांक 15 फरवरी, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तरः बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गावं किरांकी (हदबस्त संख्या 206) की आयत संख्या 26 का उत्तर—पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर हरियाणा राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1991 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—91 / 730, दिनांक 22 जनवरी, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं तोलनी की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गावं किरांकी (हदबस्त संख्या 206) की आयत संख्या 27 का उत्तर—पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दुं बी' से दक्षिण की ओर हरियाणा राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1991 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—91 / 730, दिनांक 22 जनवरी, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव तोलनी की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव किरांकी (हदबस्त संख्या 206) की आयत संख्या 27 का दक्षिण—पूर्व कोना है।

दक्षिणः तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर हरियाणा राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1991 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—91 / 730, दिनांक 22 जनवरी, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं भीरावती की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गावं किरांकी (हदबस्त संख्या 206) की आयत संख्या 25 का दक्षिण—पश्चिम कोना है।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर—पूर्व की ओर हरियाणा राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी, 1977 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 5932—2टीर0सी0पी0—76 / 10302, दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, सोहना शहर—1 की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

अनुसूची (पॉकेट-ई)

गावं घामरोज तथा रायसीना, गावं गैरातपुर बास, जिला गुड़गावं के इर्द—गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डीoटीoपीo (जी) 1925/2010, दिनांक 15 मार्च, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तरः बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गावं गैरातपुर बास (हदबस्त संख्या 158) गावं साकतपुर (हदबस्त संख्या 166) तथा गावं बीर गुज्जर (हदबस्त संख्या 156) का तिरहा है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर गावं गैरातपुर बास (हदबस्त संख्या 158) के पहाड़ की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात् गांव घामरोज (हदबस्त संख्या 179) की राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गावं घामरोज (हदबस्त संख्या 179) की आयत संख्या 11 का उत्तर—पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर हरियाणा राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1990 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—90/4181, दिनांक 28 मार्च, 1990 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गावं भोंडसी तथा हरियाणा राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल, 1983 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 17776— 10डी0पी0—83/2599, दिनांक 27 फरवरी, 1983 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, सोहना शहर की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव घामरोज (हदबस्त संख्या 179) की आयत संख्या 100 का दक्षिण7पश्चिम कोना है।

दक्षिणः तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी०–90 / 4185, दिनांक 28 मार्च, 1990 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, सोहना शहर–4 की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि जिला गुड़गावं तथा जिला मेवात की जिला सीमाओं से मिलता है।

पश्चिमः तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर जिला मेवात की उत्तर—पूर्व जिला सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ई' तक। तत्पश्चात् हरियाणा राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी, 1991 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जे0डी0—91 / 734, दिनांक 22 मार्च, 1991 को पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गावं बीर गुज्जर की सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

कें0 कें0 जालान वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

#### HARYANA GOVERNMENT

# TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

#### Notification

The 24th August, 2010

No.CCP(NCR)/GGN-MBK-ABP-RJG-KRNK-GMJ-RSN/ACA-CA/2010/3240.- Whereas, in the opinion of the State Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

## Schedule (Pocket-A)

Schedule of boundaries of the additional controlled area around Village Mubarikpur, District Gurgaon to be read with the Drawing No. DTP (G) 1908/2009, dated the 24<sup>th</sup> December, 2009.

- North: Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 1 of village Mubarikpur (Hadbast number 37), thence towards east along the southern district boundary of district Jhajjar upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 7 of village Mubarikpur (Hadbast number 37).
- East: Thence moving from point 'B' towards south along the already declared controlled area boundary of Government Primary School, village Mubarikpur published in Haryana Government Gazette vide Notification No. CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1658, dated 27<sup>th</sup> October, 2005 upto point 'C' i.e south-east corner of rectangle number 7 of village mubarikpur (Hadbast number 37).
- South: Thence moving from point 'C' towards west along the already declared controlled area boundary of Government Primary School, Village Mubarikpur published in Haryana Government Gazette vide Notification No. CCP(NCR)/EW/GGN/23/CA /B/2005/1658,dated 27<sup>th</sup> October, 2005 upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 9 of village Mubarikpur (Hadbast number 37).
- West: Thence moving from point 'D' towards north along the western district boundary of district Jhajjar upto point 'A' i.e. point of start.

#### Schedule (Pocket-B)

- Schedule of boundaries of the controlled area around Village Abheypur, District Gurgaon to be read with the Drawing No. DTP(G) 1909/2009, dated the 24th December, 2009.
- North: Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 76 of village Abheypur (Hadbast number 173), thence towards east along the already declared controlled area around Government High School, Village Garhi Bazidpur vide Haryana Government Gazette notification No. JD-90/4177, dated 28th March, 1990 published on 30th March, 1990 and around Government Primary School, Village Damdama vide Haryana Government Gazette notification No. JD-90/1183, dated 28th March, 1990 published on 30th March, 1990 upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 75 of village Abheypur (Hadbast number 173).
- East: Thence moving from point 'B' towards south along the already declared controlled area around Government Primary School, Village Damdama vide Haryana Government Gazette notification No. JD-90/1183, dated 28th March, 1990, published on 30th March, 1990 and along already declared controlled area around Khobri Ka Mandir, Village Khobri published in Haryana Government Gazetted vide notification No. JD-91/7472, dated 30the April, 1991 upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 86 of village Abheypur (Hadbast number 173).
- South: Thence moving from point 'C' towards west along the already declared controlled area around Khobri Ka Mandir, village Khobri published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-91/7472, dated 30<sup>th</sup> April, 1991 upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 85 of village Abheypur (Hadbast number 173).
- West: Thence moving from point 'D' towards north along the north-east boundary of already declared controlled area, Sohna Town-I vide Haryana Government Gazette notification No. 5932-2 TCP-76/10302, dated 31st December, 1976 published on 4th January, 1977 upto point 'A' i.e. point of start.

### Schedule (Pocket-C)

Schedule of boundaries of the additional controlled area-IV of village Rojka Gujjar & Village Abheypur, district Gurgaon to be read with the Drawing No. DTP (G) 1910/2009, dated the 28<sup>th</sup> December, 2009.

North: Starting from point 'A' i.e. north-west corner of Khasra number 96 of village Rojka Gujjar (Hadbast number 172), thence towards east along the already declared controlled area-II around village Bade Johar Ka Mandir at Village Rojka Gujjar published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-97/13571, dated the 28th August, 1997 upto point 'B' i.e. North-East corner of Khasra number 96 of villge Rojka Gujjar (Hadbast number 172) it also meets with the eastern district boundary of district Faridabad.

East: Thence moving from point 'B' towards south along the north-east district boundary of district Faridabad upto poin 'C' Thence along the already declared controlled area boundary of Government Primary School, Village Tether published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-97/13578, dated 28th August, 1997 and along the already declared controlled area boundary of Government Primary School, Village Mubarikpur published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-97/13579, dated 28th August, 1997 upto point 'D' i.e. south-east corner of rectangle number 29 of village Abheypur (Hadbast Number 173).

South: Thence moving from point 'D' towards west and south along the already declared controlled area boundary of Government Primary School, Village Mandawar published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-97/13579, dated 28th August, 1997 upto point 'E' Thence along the already declared controlled area boundary of Khobri Ka Mandir, Village Khobri published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-91/7472, dated 30th April, 1991 upto point 'F' i.e. south-west corner of rectangle number 31 of village Abheypur (Hadbast number 173).

West: Thence moving from point 'F' towards north along the already declared controlled area around Government primary School, Village Damdama vide Haryana Government Gazette notification No. JD-90/1183, dated 28th March, 1990 published on 30th March, 1990. Thence along the already declared additional controlled area-II around Village Bade Bade Johar Ka Mandir, Village Rojka Gujjar published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-97/13571, dated 28th August, 1997 and along the already declared additional controlled area-I around Bade Johar Ka Mandir at Village Rojka Gujjar published in Haryana GovernmentGazette vide notification No. JD-91/7468, dated 30th April, 1991, upto pont 'A' i.e. point of start.

#### Schedule (Pocket-D)

Schedule of boundaries of the controlled area around village Kiranki, district Gurgaon to be read with the Drawing No. DTP(G) 1917/2010, dated the 15th February, 2010.

North: Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 26 of village Kiranki (Hadbast number 206), thence towards east along the already declared controlled area around Government Primary School, Village Tolni vide Haryana Government Gazette notification No. JD-91/730, dated 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991 upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 27 of village Kiranki (Hadbast number 206).

East: Thence moving from point 'B' towards south along the already declared controlled area around Government Primary School, Village Tolni vide Haryana Government Gazette notification No. JD-91/730, dated 22<sup>nd</sup> January, 1991 published on 28<sup>th</sup> January, 1991 upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 27 of village Kiranki (Hadbast number 206).

South: Thence moving from point 'C' towards west along the already declared controlled area around Government Middle School, village Bhirawati vide Haryana Government Gazette notification No. JD-91/739, dated 22<sup>nd</sup> January, 1991 published on 28<sup>th</sup> January, 1991 upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 25 of village Kiranki (Hadbast number 206).

West: Thence moving from point 'D' towards north along the already declared controlled area, Sohna-I Town vide Haryana Government Gazette notification No. 5932-2TCP-76/10302, dated 31st December, 1976 published on 4th January, 1977 upto point 'A' i.e. point of start.

#### Schedule (Pocket-E)

Schedule of boundaries of the additional controlled area around village Ghamroj, Raisina and Village Gairatpur Bas, District Gurgaon to be read with the Drawing No. DTP(G) 1925/2010, dated the 15<sup>th</sup> March, 2010.

North: Starting from point 'A' i.e. tri-junction point of revenue boundary of village Gairat Pur Bas (Hadbast number 158), Village Sakat Pur (Hadbast number 166) and village Bar Gujjar (Hadbast number 156) and thence towards east along the north-east and northern boundary of Pahar of village Gairat Pur Bas (Hadbast number 158), thence along the village revenue boundary of village Ghamroj (Hadbast number 179) upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 11 of village Ghamroj (Hadbast number 179).

East: Thence moving from point 'B' towards south along the already declared controlled area boundary of Government Senior Secondary School, Village Bhondsi vide Haryana Government Gazette vide notification No. JD-90/4181, dated 28th March, 1990 published on 30th March, 1990 and along the already declared controlled area boundary of around Sohna town vide Haryana Government Gazette vide notification no. 17776-10DP 83/2599, dated 27th February, 1983 published on 12th April, 1983 upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 100 of village Ghamroj (Hadbast number 179).

South: Thence moving from point 'C' towards west along the already declared controlled area boundary of Sohna Town-IV published in Haryana Government Gazette vide notification No. JD-90/4185, dated 28th March, 1990 upto point 'D' which is the meeting point of district boundary of district Gurgaon and district Mewat.

West: Thence moving from point 'D' towards north along the north-east district boundary of district Mewat upto point 'E' Thence along the already declared controlled area boundary of Government Primary School, Village Bir Gujjar vide Haryana Government Gazette notification No. JD-91/734, dated 22<sup>nd</sup> March, 1991, published on 28<sup>th</sup> January, 1991 upto point 'A' i.e. point of start.

K.K. JALAN, Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.